प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ –8

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला, चौकी, एसीबी, अजमेर 290/23 थाना.सीपीएस. एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023 .... 8/11/23
प्र. इ. रि. स. .... दिनांक ....
2. (अ) अधिनियम ... प्र० नि० अधिनियम 1988 ......धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 ....
....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .... धारायें........
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......133 समय........ 5.30 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 07.11.2023.... समय 01.06 पीएम ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 01.11.2023 समय.....11 ए.एम. पीएम........
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण–पश्चिम 28 किलोमीटर ....
(ब) पता – गांव भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर बीट सख्या .... जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना........ जिला........
....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री प्रधाम सिंह........
(ब) पिता का नाम श्री हेम सिंह ....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 23 साल........
(द) राष्ट्रीयता........भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी........ जारी होने की जगह........
(र) व्यवसाय...... ....खेती ....
(ल) पता दृ गाव सवाईपुरा पोस्ट भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर........
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री हमीर्दुरहमान पुत्र श्री हफीजुरहमान उम्र 28 साल जाति कुरैशी मुसलमान निवासी मेवाडिया रोड, पीसांगन अजमेर हाल पटवार पटवार हल्का भगवानपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर
8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही........
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....5,000 रू० रिश्वत राशि........
....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... 5,000 रू० रिश्वत राशि ......
....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)....

सेवा में श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। विषय– रिश्वत लेते हुए को पकडवाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै प्रार्थी प्रधान सिंह रावत सवाईपुर पोस्ट भगवान पुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर का रहने वाला हूं। मेरे पिता श्री हेम सिंह श्री धन्ना सिंह रावत के नाम ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगण मे पुस्तेनी कृषि भूमि है जो कि मेरे पिता जी की बुआ व बहनो के नाम भी चली आ रही है। मेरे पिताजी ने अप्रेल 2023 मे बुआ रूपी देवी, बहिने गीता देवी, नौरती देवी, प्रेमदेवी, विमला, मीरा देवी, शारदा देवी, सन्तोष देवी, सीता देवी के हिस्से की जमीन पावर ऑफ अर्टनी से खरीद कर रजिस्ट्री करवा ली है। उक्त रजिस्ट्री की फोटो कॉपी मैने दो बार हल्का पटवारी हमीदुर्रहमान को दे दी फिर भी अभी तक नामान्तरण नही खोला। मैने 3–4 बार फोन कर भी पटवारी को बोला तथा दो तीन बार पटवारी से व्यक्गित सम्पर्क किया परन्तु अभी तक नामान्तरण नही खोला तथा मेरे मित्र श्री महेन्द्र सिंह को कहा कि प्रधान सिंह से कहो कि खर्चा दिलवाओ काम कर दुंगा। मैं पटवारी श्री हमीदुर्रहमान को रिश्वत नही देना चाहता हूं। कार्यवाही करावें। मेरा मित्र श्री

Scanned with CamScanner

महेन्द्र सिंह मेरे साथ ही है। दिनांक 01/11/2023 प्रार्थी – हस्ताक्षर –प्रधान सिंह 7568040692, –हस्ताक्षर– महेन्द्र सिंह 8442069111

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर कैम्प भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर

समय : 01.30 पीएम दिनांक : 01.11.2023

परिवादी श्री प्रधान सिंह ने व महेन्द्र सिंह ने अपने मोबाइल नम्बर 8442069111 से वाट्सएप कॉल कर कार्यालय हाजा मे सूचना दी कि परिवादी प्रधान सिंह के पिता श्री हेम सिंह के नाम जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज मे पटवारी पटवार हल्का भगवानपुरा अतिरिक्त चार्ज सूरजकुण्ड श्री हमीदुर्रहमान द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है एंव पटवारी अभी भगवानपुरा में अटल सेवा केन्द्र में ही मौजूद है हम कार्यवाही करवाना चाहता है। जिस पर परिवादीगण को कार्यालय मे उपस्थित होकर रिपोर्ट देने हेतु कहा गया परन्तु परिवादीगण ने बताया कि हमारे आने जाने में समय लगेगा इतनी देर में हो सकता है पटवारी दूसरी जगह चला जावे आप ही आ जाओ हम आपको भगवानपुरा ई मित्र की दुकान पर मिल जायेंगें। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस नरेश चौहान मय श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62 मय डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित प्राईवेट वाहन से रवाना होकर इस समय भगवानपुरा परिवादी श्री महेन्द्र सिंह की ई मित्र की दुकान पर पहुंचा जंहा पर परिवादी श्री प्रधान सिंह पुत्र श्री हेम सिंह जाति रावत उम्र 23 साल निवासी गांव सवाईपुरा पोस्ट भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर मय अपने मित्र/परिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 37 साल निवासी गांव भगवानपुरा तहसील भगवान पुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर के साथ में उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादीगण को पढकर सुनाया गया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही होना बताये तथा प्रार्थना पत्र श्री महेन्द्र सिंह की हस्तलेखनी मे होना बताते हुये दोनो द्वारा हस्ताक्षरित होना अवगत करवाया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ में अपने पिता श्री हेम सिंह व उनकी बुआ तथा बहिनो के नाम की जमाबन्दी खाता संख्या 277 व 419 राजस्व ग्राम सूरजकुण्ड की दो प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिनके अवलोकन से परिवादी के पिता श्री हेम सिंह व उसकी बुआ व बहिनो के नाम से जमीन होना पाया गया। परिवादी ने रजिस्ट्री की एक फोटो कॉपी भी पेश की। परिवादी प्रधान सिंह ने बताया कि पटवारी हमीर्दुरहमान पिछले 6 महिने से हमारा काम नही कर रहा है तथा नामान्तरण खोलने के लिये रूपये मांगे जो मैने नही दिये तथा मैने मेरे मिलने वालो से सिफारिशे भी करवाई परन्तु काम नही किया और मेरे मित्र महेन्द्र सिंह को कहा कि प्रधान सिंह फ्री ही नामान्तरण खुलावाना चाहता है उससे खर्चा पानी दिलवाओ काम हो जायेगा। महेन्द्र सिंह को कहा कि प्रधान सिंह से रूपये लेकर तुम मुझे दे देना मै नामान्तरण खोल दूंगा। मैने सिफारिश करवा दी इसलिये वो अब मेरे से रिश्वत की बात नही करेगा। रिश्वत की बात महेन्द्र सिंह से ही करेगा। परिवादी महेन्द्र सिंह ने बताया कि मै हमीर्दुरहमान पटवारी से चार पांच दिन पहले मिला था तथा उसे मेरे मित्र प्रधान सिंह के पिता श्री हेम सिंह के नाम नामान्तरण खोलने के लिये कहा तो उसने मुझे कहा कि प्रधान सिंह फ्री मे ही नामान्तरण खुलवाना चाहता है उससे खर्चा पानी दिलवाओ काम हो जायेगा। मुझे कहा कि प्रधान सिंह से रूपये लेकर तुम मुझे दे देना मै नामान्तरण खोल दूंगा। नियमानुसार नामान्तरण खोलने का शुल्क एक खाते की 20 रूपये होती है। हेम सिंह के दो खातो के नामान्तरण खोलने का

Scanned with CamScanner

सरकारी फीस 40 रूपये ही होती है। मेरी ई मित्र की दुकान है इसलिये पटवारी मेरी दुकान पर आता जाता रहता है तथा मेरे उपर विश्वास भी करता है इसलिये वो मेरे माध्यम से ही रिश्वत मांग रहा है। हम उसे रिश्वत नही देना चाहते है, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहते है। पूछने पर बताया कि हमारी पटवारी से कोई रंजिश नही है और नाही कोई लेनदेन बकाया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर परिवादीगण को रिश्वत राशि की मांग के सत्यापन के सम्बन्ध मे बताया तो उनके द्वारा बताया गया कि पटवारी के पास महेन्द्र सिंह ही जाकर बात करेगा। महेन्द्र सिंह ने बताया कि पटवारी अभी अटल सेवा केन्द्र मे ही मौजूद है। मै अभी उससे जाकर बात कर लूंगा। परिवादी श्री महेन्द्र सिंह को डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की समझाईश की गई। डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉडिग चालू कर परिवादी महेन्द्र सिहं को सुपुर्द कर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह को अटल सेवा केन्द्र की तरफ रवाना किया गया। परिवादी महेन्द्र सिंह के पीछे–पीछे श्री रामचन्द्र हैड कानि व श्री कैलाश चारण हैड कानि को रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री प्रधान सिंह के ई मित्र की दुकान पर ही मुकीम रहा।दिनांक 01.11.2023 समय 02.55 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित आया तथा पीछे पीछे ही श्री रामचन्द्र हैड कानि0 व श्री कैलाश चारण हैड कानि भी उपस्थित आये। परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। पूछने पर परिवादी महेन्द्र सिंह ने बताया कि पटवारी श्री हमीर्दुरहमान से मेरी बात हो गई मैने उसे हेम सिंह के नाम की रजिस्ट्री की कॉपी दी है। मेरे मित्र के पिता हेम सिंह के नाम नामान्तरण खोलने के 5000 मांगे। परिवादी की ई मित्र की दुकान पर आम जनता की आवाजाही लगी हुई होने से रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वातो को स्पष्ट रूप से सुना जाना सम्भव नही होने मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र हैड कानि व श्री कैलाश चारण हैड कानि0 के मय डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर के प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय अजमेर के लिये एसीबी कार्यालय अजमेर पहुंचा व वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को चालू करके सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग व परिवादी के काम के सम्बन्ध मे वार्ता होना पाया गया। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 06.11.2023 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री प्रधान सिंह एंव श्री महेन्द्र सिंह कार्यालय मे उपस्थित आये। परिवादीगण ने बताया कि हमने जानकारी की तो पटवारी जी आज करीब 4 बजे भगवानपुरा आयेंगें। पटवारी जी पीसांगन के ही रहने वाले है कभी कभी वो देर शाम तक भी भगवानपुरा मे रहते है। आज उनके देरी से आने की सम्भावना है इसलिये हो सकता है आज वे देर से जायेगें। इसलिये आगे की कार्यवाही आज की जा सकती है। गवाह तलब किये जाने पर श्री अजीत सिंह पुत्र श्री नवल सिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी प्लॉट नम्बर 7 अंजनी माता नगर, हातोज सिरसी रोड जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन अजमेर व श्री करण यादव पुत्र श्री नारायण यादव उम्र 33 साल जाति यादव निवासी ग्राम चक बासडी पोस्ट खोटा बिसल निवारू रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित कार्यालय हाजा आये, जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया। परिवादीगण एंव गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2023 स्वतन्त्र गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी महेन्द्र व आरोपी श्री हमीर्दुरहमान के पटवारी के मध्य दिनांक 01.11.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर/मैमोरी कार्ड

Scanned with CamScanner

कार्यालय अलमारी मे से निकाला जाकर उसमें दर्ज वार्ता के मुख्य मुख्य अंश वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुनाये गये। तत्पश्चात् दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहगति प्रदान की। दिनांक 06.11.2023 समय 03.45 पीएम पर परिवादी श्री प्रधान सिंह, श्री महेन्द्र सिंह, स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह एंव करण यादव की उपस्थिति मे दिनांक 06.11.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. मैमोरी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द व शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाकर वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एम.डी अंकित किया गया। दो डीवीडी को पृथक पृथक प्लास्टिक के बॉक्स में पृथक पृथक रखा जाकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एम.डी. 1 एंव एम.डी 2 अंकित किया गया। दो डीवीडी को पृथक पृथक प्लास्टिक के बॉक्स में पृथक पृथक सुरक्षित रखा गया। दिनांक 06.11.2023 समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री प्रधान सिंह ने बमौजूदगी परिवादी श्री महेन्द्र सिंह के दोनो स्वतन्त्र गवाहान अजीत सिंह एंव श्री करण यादव की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमती मीरां बेनीवाल निरीक्षक पुलिस से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्रीमती मीरां बेनीवाल से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादीगण एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। दिनांक 06.11.2023 समय 05.55 पीएम पर परिवादीगण ने अपने स्तर पर जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर बताया कि पटवारी श्री हमीर्दुरहमान अभी भगवानपुरा मे नही है हो सकता है वो चला गया हो। इसलिये आगे की कार्यवाही आज नही की जा सकती है। जिस पर परिवादी की पेन्ट मे रखी हुई रिश्वत राशि 5000 रूपये एक कागज मे लिपटवाकर अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। परिवादी महेन्द्र सिंह ने बताया कि कल जैसे ही पटवारी हमीर्दुरहमान भगवानपुरा आयेगा तो मै आपको मोबाईल के द्वारा सूचित कर दूंगा। आप भगवानपुरा आ जाना तथा कल उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाने की कार्यवाही की जा सकती है। परिवादीगण को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर रवाना किया सगया। स्वतन्त्र गवाहान को रवाना किया जाकर कार्यालय में कल दिनांक 07.11.2023 को समय 9.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। स्टॉफ के सदस्यगण को दिनांक 07.11.2023 को समय 9.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 07.11.2023 समय 09.40 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी स्टॉफ कार्यालय मे उपस्थित है। परिवादीगण के मोबाईल फोन के इन्तजार में कार्यालय मे मुकीम रहें। दिनांक 07.11.2023 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह ने जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि पटवारी हमीर्दुरहमान अभी मोतीसर गया हुआ है वह करीब एक दो घण्टे में भगवानपुरा आयेगा इसलिये आगे की कार्यवाही के लिये आप भगवानपुरा आ जाओ जिस पर कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखी हुई

Scanned with CamScanner

रिश्वत राशि 5000 श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 से निकलवाये जाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये। वायॅस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड लेकर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 07.11.2023 समय 11.05 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस नरेश चौहान मय श्री दीन दयाल वैष्णव निरीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह, श्री करण यादव, एसीवी स्टॉफ श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, व श्री किरण कुमार सैन कनिष्ठ सहायक के मय लॅपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स आदि के जरिये दो प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर के लिये रवाना हुये। परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर गांव नान्द से पुष्कर वाले रास्ते पर मिलने की हिदायत की गई। दिनांक 07.11.2023 समय 11.50 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गांव नान्द से कुछ पहले पहुंचा तलब शुदा परिवादी महेन्द्र सिहं भी उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि अभी पटवारी जी भगवानपुरा नही आये है वह अब कभी भी भगवानपुरा आ सकता है। जिस पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के समय 12.15 पीएम पर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ। दिनांक 07.11.2023 समय 12.35 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गांव भगवानपुरा से थोडा सा पहले पहुंचें तथा गोपनीय स्थान पर मुकीम हुये। परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की जामा तलाशी गवाह श्री अजीत सिंह से लिवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रिश्वत राशि 5000 रूपये जो कि श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 के पास सुरक्षित रखी हुई है को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। दिनांक 07.11.2023 समय 12.55 पीएम पर परिवादी ने अपने स्तर जरिये मोबाईल फोन मालूम कर अवगत करवाया कि पटवारी जी अभी अभी आये है तथा अटल सेवा केन्द्र के पास स्थित चाय की दुकान पर बैठे हुये है। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई परिवादी ने बताया कि यदि आप लोग ज्यादा पास आ जायेगें तो पटवारी को शक हो जायेगा। अटल सेवा केन्द्र यंहा से करीब 500 मीटर दूर ही है जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि जैसे ही रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो जाये तो जरिये मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस या स्टॉफ के किसी भी सदस्य को जरिये मोबाईल सूचना देवे। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र सिंह से चालू कर सुपुर्द करवाया गया परिवादी व रविन्द्र सिंह को परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना रवाना किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस हमराहीयान सहित प्राईवेट वाहनो से धीरे धीरे परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ। दिनांक 07.11.2023 समय 01.06 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह ने श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को मोबाईल फोन के द्वारा अवगत करवाया कि रिश्वत राशि का लेनदेन हो चुका है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री दीनदयाल वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री रामचन्द्र हैड कानि0, श्री कैलाश चारण हैड कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्रीमती रूचि उपाध्याय, श्री किरण कुमार कनिष्ठ लिपिक मय स्वतन्त्र गवाह श्री अजीत सिंह एंव श्री करण यादव को हमराह लेकर प्राइवेट वाहनो से अटल सेवा केन्द्र भगवानपुरा के समीप ही चाय की दुकान पर पहुंचा जंहा पर परिवादी श्री महेन्द्र सिंह मौजूद मिला। श्रीमती रूचि उपाध्याय को वाहन मे ही बैठे रहने के निर्देश दिये गये। परिवादी से वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया। चाय की होटल पर लगी हुई खाट पर एक स्लेटी रंग की पेन्ट व डार्क ब्राउन रंग की चौकडीदार कमीज पहने हुये व्यक्ति बैठा हुआ था एंव लाल बस्ता पास मे रखा हुआ था तथा कुछ काम करता हुआ नजर आया की तरफ ईशारा कर बताया कि

Scanned with CamScanner

"यही हमीर्दुरहमान पटवारी है जिसने अभी अभी मेरे से हेम रिंह के नाम से म्यूटेशन खोलने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत राशि के लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रख लिये है। मैने नामान्तरण खोलने की लिये कहा तो इन्होने की खोल देगें फिर मैने इनकी मांग अनुसार पांच हजार रूपये दिये जो इन्होने लेकर रख लिये और मैने रविन्द्र जी को फोन करके ईशारा कर दिया।" इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत कराते हुए इसका परिचय पूछा तो अपना नाम " हमीर्दुरहमान पुत्र श्री हफीजुरहमान उम्र 28 साल जाति कुरैशी मुसलमान निवासी मेवाडिया रोड, पीसांगन अजमेर हाल पटवार पटवार हल्का भगवानपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर" होना बताया। श्री हमीर्दुरहमान को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो बताया कि मैने नही मांगे इसने दिये इसलिये लेकर रख लिये। रिश्वत राशि किस बाबत ली पूछने पर बताया कि " बुधवार दिनांक 01.11.2023 को महेन्द्र सिंह मेरे से मिला था तथा इसने मुझे हेम सिंह रावत के नाम उसकी बुआ व बहिनो से खरीद शुदा भूमि का नामान्तरण खोलने के लिये कहा था और कहा कि यह काम आपको करना है पांच हजार रूपये दे दूंगा। अभी इसने वो ही पांच हजार रूपये दिये जो मैने लेकर रख लिये। मैने पैसे नही मांगे थे इसने अपनी मर्जी से दिये।" इसी दौरान श्री परिवादी श्री प्रधान सिंह भी मौके पर उपस्थित आया जिसे कार्यवाही मे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। श्री हमीर्दुरहमान द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया जाने पर प्राईवेट वाहन मे से ट्रेप बॉक्स श्री किरण कुमार कनिष्ठ लिपिक से मंगवाया जाकर मौके पर ट्रेप बॉक्स में से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर चाय की होटल से पानी लेकर गिलासो में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री हमीर्दुरहमान के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ का धोवण का रंग गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर कमशः गुलाबी एवं हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात आरोपी श्री हमीर्दुरहमान को रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से 500–500 रूपये के कुछ नोट नोट निकालकर गवाह श्री करण यादव को दिये। तत्पश्चात दोनो गवाहान को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से नोटो के नम्बरो का मिलान कर गिनने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना तथा 500–500 रूपये के दस नोट कुल 5000 रूपये होना बताया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री करण यादव के पास सुरक्षित रखवाये गये तथा मौके पर भीड़ भाड़ होने के कारण मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय जब्तशुदा आर्टिकल मय आरोपी श्री हमीर्दुरहमान के पास ही स्थित अटल सेवा केन्द्र/ग्राम पंचायत भगवानपुरा पहुँचे। इसी दौरान श्री अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरविजन हेतु मय सरकारी वाहन मय चालक के मौके पर पहुंचें। अटल सेवा केन्द्र में श्री मुकेश शर्मा चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी (संविदाकर्मी) मोबाईल नम्बर 7358206489 मिला। जिसे संक्षिप्त में अवगत करवाकर कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय को ताला खोलने व बैठने हेतु स्थान उपलब्ध कराने की कहने पर श्री मुकेश शर्मा ने अटल सेवा केन्द्र के सभा भवन का ताला खोलकर उसमें बैठकर कार्यवाही अनुमति प्रदान की।

Scanned with CamScanner

तत्पश्चात गवाह श्री करण यादव के पास सुरक्षित रखी हुई बरामदशुदा रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 10 नोटो को एक पीले रंग कागज के लिफाफे में रखकर नोटो के साथ में सम्बन्धित के हस्ताक्षरशुदा चिट रखकर उक्त लिफाफे को सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवण की चारो शीशीयो को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण की शीशीयो को मार्क कमंशः आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण की शीशीयो को मार्क कमशः एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवण लिया जाना है। अतः भगवानपुरा बस स्टेण्ड के पास स्थित दुकान से एक लोअर मंगवाया जाकर आरोपी की पहनी हुई स्लेटी रंग की जिंस पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर लोअर पहनाया गया। ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री हमीर्दुरहमान की जिंस पेंट की पीछे की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी मटमैला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने हल्का गुलाबी मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः पी 1, पी 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त जिंस पेंट बरंग स्लेटी की पीछे की दाहिनी जेब, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जिंस पेंट को एक सफेद की कपड़े की थेली मे डालकर सील्ड कर मार्क "पी" अंकित किया तथा कपडे की थेली पर संबंन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी पटवारी श्री हमीर्दुरहमान को परिवादी श्री प्रधान सिंह के पिता श्री हेम सिंह के द्वारा उसकी बुआ एंव बहिनो से जरिये पावर इनके हिस्से की खरीदी हुई जमीन का नामान्तरण खोलने से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी श्री हमीर्दुरहमान नें बताया कि " करीब एक –दो माह पूर्व ये मेरे को रजिस्ट्री कॉपी देकर गया था। रजिस्ट्री पावर ऑफ अर्टोनी से हुई थी इसलिये मैने इससे पावर ऑफ अर्टोनी की कॉपी मांगी थी जो यह करीब 20 दिन पूर्व ही देकर गया था। आज तहसील मे जाकर इसका नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करनै वाला था।" परिवादी प्रधान एंव महेन्द्र द्वारा दी गई रजिस्ट्री एंव पावर ऑफ अर्टोनी के सम्बन्ध मे पूछा तो अटल सेवा केन्द्र के उपर बने हुय पटवार भवन में होना बताया।" इस पर रूबरू गवाहान आरोपी को हमराह लेकर अटल सेवा केन्द्र के उपर प्रथम तल पर बने पटवार घर पर पहुंचे जिस पर ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी ने अपनी मोटर साईकिल की चाबी के साथ होना तथा मोटर साईकिल मे ही लगा होना बताया जिस पर उक्त चाबी मंगवाई जाकर ताला खुलवाया गया। पटवार घर मे रखी हुई टेबल के उपर से ही आरोपी ने तलाश कर परिवादी के पिता श्री हेम सिंह के नाम की पावर ऑफ अर्टोनी दिनांक 02.04.2023 एंव रजिस्ट्री दिनांक 12.04.2023 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया तो परिवादी से सम्बन्धित होना पाया गया। छायाप्रतिंयो पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। नामान्तरण रजिस्टर के सम्बन्ध मे पूछा तो बताया कि आजकल नामान्तरण ऑन लाईन ही दर्ज होता है इसलिये नामान्तरण रजिस्टर का संधारण नही किया जाता है। समस्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।

Scanned with CamScanner

बमौजूदगी स्वतन्त्र गवाह व उपस्थित परिवादी की निशांदेही से घटना स्थल का निरीक्षण फर्द नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से मुर्तिव किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 07.11.2023 समय 04.30 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार आरोपी श्री हमीदुर्रहमान मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीवी स्टाफ मय जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिंटर के गांव भगवान पुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर से एसीवी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुआ। परिवादीगण को एसीवी कार्यालय पहुंचे की हिदायत दी गई। दिनांक 07.11.2023 समय 05.30 पीएम पर समय उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपी मय हमराहीयान मय जब्तशुदा आर्टिकल के एसीवी कार्यालय अजमेर पहुँचे। दिनांक 06.11.2023 समय 06.50 पीएम पर परिवादी श्री प्रधान सिंह, श्री महेन्द्र सिंह, स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह एंव करण यादव की उपस्थिति मे दिनांक 07.11.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. मैमोरी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द व शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाकर वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एम.आर अंकित किया गया। दो डीवीडी को पृथक पृथक प्लास्टिक के बॉक्स में पृथक पृथक रखा जाकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एम.आर. 1 एंव एम.आर 2 अंकित किया गया। दो डीवीडी को पृथक पृथक प्लास्टिक के बॉक्स में पृथक पृथक सुरक्षित रखा गया। दिनांक 07.11.2023 समय 08.10 ट्रेप कार्यवाही मे जब्त एंव सील्ड शुदा मालखाना आर्टिकल श्री हरी सिंह सहायक उप निरीक्षक को मालखाना मे रखे जाने हेतु सुपुर्द किये गये।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हमीर्दुरहमान पुत्र श्री हफीजुरहमान उम्र 28 साल जाति कुरैशी मुसलमान निवासी मेवाडिया रोड, पीसांगन अजमेर हाल पटवार पटवार हल्का भगवानपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री प्रधान सिंह के पिता श्री हेम सिंह के द्वारा उनकी बुआ व बहिनो के हिस्से की राजस्व ग्राम सुरजकुण्ड स्थित कृषि भूमि खाता नम्बर 277 व 419 की पावर ऑफ अर्टोनी से हेम सिंह के नाम करवाई गई रजिस्ट्री के आधार पर परिवादी के पिता श्री हेम सिंह के नाम नामान्तरण खोलने की एवज में दिनांक 01.11.2023 परिवादी श्री महेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि 5000 रूपये की मांग कर मांग के अनुसरण में आरोपी श्री हमीर्दुरहमान पटवारी, पटवार हल्का भगवानपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर द्वारा आज दिनांक 07.11.2023 को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह से 5000 रूपये अपने हाथो से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिसं पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। इस प्रकार आरोपी श्री हमीर्दुरहमान पटवारी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(नरेश चौहान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हमीर्दुरहमान पुत्र श्री हफीजुरहमान, हाल पटवारी, पटवार हल्का भगवानपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सूरजकुण्ड़, तहसील पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 290/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

8/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3028-31 दिनांक 08.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू.अ.), जिला अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।